पंजीकृत / ई–मेल

प्रेषक,

सचिव,
उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
प्रयागराज।

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
अलीगढ़, अम्बेडकरनगर, अमेठी, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बदायूँ, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलन्दशहर, चन्दौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हापुड़, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झाँसी, कन्नौज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, सहारनपुर, संतकबीरनगर, शाहजहाँपुर, सम्भल, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुलतानपुर, उन्नाव व वाराणसी।

जिला विद्यालय निरीक्षक–द्वितीय,
कानपुरनगर, मेरठ व वाराणसी।

पत्रांकः– 536 /चयन/58–2021/2022–23 दिनांक 07/06/ 2022

विषयः– विज्ञापन 1/2016 टी0जी0टी0 जीवविज्ञान वर्ग–01 एवं वर्ग–02 में रिक्तियों से अधिक के पैनल में अंकित अभ्यर्थियों का नाम संस्था को भेजने के विषय पर मांगे जा रहे निर्देश के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रदेश के विभिन्न जनपदों से विज्ञापन वर्ष 1/2016 टी0जी0टी0 जीवविज्ञान वर्ग–01 एवं वर्ग–02 के प्रेषित पैनल में चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने से मना करने पर रिक्तियों की संख्या से अधिक के पैनल में अंकित अभ्यर्थियों को संस्था आवंटित करके पैनल उपलब्ध कराये जाने की मांग की जा रही है, जबकि इस संदर्भ में उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयनबोर्ड नियमावली 1998 के नियम 13(3) के अनुसार रिक्तियों की संख्या से अधिक के पैनल में अंकित अभ्यर्थियों में से मेरिट क्रम से अगला नाम भेजने का कार्य सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर से होना है। नियम 13(3) की व्यवस्था निम्नवत् है :–

''जब उपनियम (1) में निर्दिष्ट अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र में अनुमत समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गए समय के भीतर जैसा प्रबन्धतंत्र इस निमित्त अनुमति दें, पद का कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहे या जहॉ, ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये अन्यथा उपलब्ध न हो, वहां निरीक्षक प्रबन्धतंत्र के अनुरोध पर ऐसे नये अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के नाम, जो पैनल से योग्यता क्रम में उसके बाद हों, भेजेगा।''

1. उपर्युक्त विज्ञापन से सम्बन्धित पैनल में रिक्तियों की संख्या से अधिक के पैनल में अभ्यर्थियों के नाम व पता का विवरण तैयार कर इसे चयनबोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है।
2. यदि चयनित अभ्यर्थी किन्ही कारणों से नियुक्ति हेतु अनुपलब्ध रहते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त करने के बाद विद्यालय प्रबन्धतंत्र की मांग पर विषय वर्ग व आरक्षण श्रेणीवार अभ्यर्थियों का नाम मेरिट क्रम से रिक्तियों की संख्या से अधिक के पैनल में से सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
3. उदाहरणार्थ– यदि कही रिक्ति होती है तो वहॉ के जिला विद्यालय निरीक्षक रिक्तियों की संख्या से अधिक के पैनल में सबसे ऊपर मेरिट के अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र निर्गत करने हेतु विद्यालय प्रबन्धतंत्र को निर्देशित करेंगें। रिक्तियों की संख्या से अधिक के पैनल में मेरिट क्रम 1 की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के बाद इसी प्रकार अगले अभ्यर्थी के संदर्भ में तब तक कार्यवाही की जाती रहेगी जब तक चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने से इंकार करने के कारण रिक्त पदों की पूर्ति न हो जाय।
4. उपर्युक्त के दृष्टिगत यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी जिला विद्यालय निरीक्षक तद्नुसार सूचित होकर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

सचिव 07-06-2022
उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
प्रयागराज।